7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल–197/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० श्यामला गुप्ता, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिदुपुर, वैशाली के दिनांक–01.10.2026 से 30.09.2027 तक कुल–365 (तीन सौ पैसठ) दिनों के उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1993(25), दिनांक–29.09.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12 2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश के पश्चात् डा० गुप्ता का 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल–197/2026– 26549(2) पटना, दिनांक 6/11/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिदुपुर, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० श्यामला गुप्ता, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र, बिदुपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।